क्रम संख्या–19

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गजट, उत्तरांचल

## उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 31 जनवरी, 2005 ई0
माघ 11, 1926 शक सम्वत्

### उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 423/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005
देहरादून, 31 जनवरी, 2005

### अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 29 जनवरी, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 12, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तरांचल अधिनियम सं0 12, वर्ष 2005)

[भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा अधिनियमित]

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेत्तर संशोधन के लिये

## अधिनियम

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

उत्तरांचल (उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 की धारा 15 में संशोधन

2—उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (जिसे यहां मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 15 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

"(ख) उपनगर प्रमुख की पदावधि उसके निर्वाचन के दिनांक से दो वर्ष और छः माह या सभासद के रूप में शेष कार्यकाल के लिये, जो भी कम हो, होगी।

(ग) खण्ड (ख) के उपबन्ध ऐसे किसी उपनगर प्रमुख पर भी लागू होंगे जो गत निर्वाचन में निर्वाचित घोषित किये गये हों।"

मूल अधिनियम की धारा 16 में संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर निम्न रख दिया जायेगा :—

नगर प्रमुख और उपनगर प्रमुख का हटाया जाना

अर्थात :—

"(1) जहां राज्य सरकार का यह विश्वास करने का कारण हो कि—

(क) नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख की तरफ से अपने कर्तव्यों के निष्पादन में कोई चूक हुई है;

(ख) नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख ने—

(एक) धारा 11 और 25 में उल्लिखित कोई अनर्हता उपगत कर ली है, या

(दो) धारा 463 के अर्थान्तर्गत निगम के साथ उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भागीदार द्वारा कोई अंश या हित, चाहे धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का हो, जान—बूझकर अर्जित किया है; या

(तीन) जान—बूझकर किसी ऐसे मामले में, जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से या किसी भागीदार द्वारा कोई अंश या हित हो, चाहे व धन सम्बन्धी हो या किसी अन्य प्रकार का हो या जिसमें किसी मुवक्किल, मालिक या अन्य व्यक्ति की ओर उसका वृत्तिक रूप में निहित था, या नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख या सभासद के रूप में जान—बूझकर किसी ऐसे मामले मे, कार्य किया है, या

(चार) निगम के प्रबन्ध में सौंपी गयी किसी नजूल भूमि के सम्बन्ध में किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में किसी व्यक्ति की ओर से नगर निगम के विरुद्ध या राज्य सरकार के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में कार्य किया है या उपस्थित हुआ है या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से जिसके विरुद्ध नगर निगम द्वारा या उसकी ओर से कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई हो, कार्य किया है या उपस्थित हुआ है; या

(पांच) नगर निगम के नगर पालिका क्षेत्र में अपने सामान्य निवास स्थान को परित्याग कर दिया है; या

(छः) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा है; या

(सात) निगम के चालू या पूर्ववर्ती कार्यकाल में नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख के रूप में या किसी अवधि के सभापति या सभासद के रूप में या किसी अन्य हैसियत से, चाहे जो भी हो, कार्य करते हुए अपने पद का इतना घोर दुरुपयोग किया है, या इस अधिनियम के किसी उपबन्ध या किसी नियम, विनियम या उपविधि का जान—बूझकर उल्लंघन किया है, या निगम की निधि या सम्पत्ति को ऐसी हानि, या क्षति पहुंचायी है जो उसे नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख बने रहने के अयोग्य बना देती है; या

(आठ) किसी अन्य अवचार का दोषी है चाहे ऐसा अवचार उसने नगर प्रमुख के रूप में या उपनगर प्रमुख के रूप में या सभासद के रूप में किया हो; या

(नौ) निगम के हित के प्रतिकूल कार्य किया है; या

(दस) निगम की किसी बैठक में इस प्रकार से बाधा उत्पन्न की है या किसी निगम का उस बैठक का कार्य संचालन असंभव हो जाये या ऐसा करने के लिए किसी को दुष्प्रेरित किया है; या

(ग्यारह) इस अधिनियम के अधीन दिये गये राज्य सरकार के किसी आदेश या निर्देश का जान–बूझकर उल्लंघन किया है; या

(बारह) निगम के अधिकारियों या कर्मचारियों के साथ बिना किसी न्यायोचित कारण के, दुर्व्यवहार किया है; या

(तेरह) निगम की किसी सम्पत्ति का उसके बाजार मूल्य से कम मूल्य पर व्ययन किया है; या

(चौदह) निगम की भूमि, भवन या किसी अन्य अचल सम्पत्ति पर अतिक्रमण किया है, या किसी अन्य व्यक्ति की अतिक्रमण करने में सहायता की है, या दुष्प्रेरित किया है तो वह उससे नोटिस में विर्निदिष्ट अवधि के भीतर या कारण बताने की अपेक्षा कर सकेगी कि क्यों न उसे पद से हटा दिया जाये।

(2) राज्य सरकार, नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे, कारणों को अभिलिखित करते हुए नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख को उसके पद से हटा सकेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन हटाया गया नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख, सभासद भी नहीं रह सकेगा और उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित किसी आधार पर हटाये जाने की दशा में अपने हटाये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख के रूप में पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।"

मूल अधिनियम की धारा 51 में संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 51 में,–

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

"(2) उपनगर प्रमुख कार्यकारिणी समिति का पदेन उपसभापति होगा।"

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

आज्ञा से,

आई0 जे0 मल्होत्रा,
प्रमुख सचिव।

No. 423/Vidhayee & Sansadiya Karya/2005
*Dated Dehradun, January 31, 2005*

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002 (Third Amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 12 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on January 29, 2005.

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH NAGAR NIGAM ACT, 1959) (ADAPTATION & MODIFICATION ORDER, 2002) (THIRD AMENDMENT) ACT, 2005

(THE UTTARANCHAL ACT NO. 12 OF 2005)

[Enacted by the Uttaranchal Legislative Assembly in the Fifty-fifth Year of the Republic of India]

*Further to amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002*

AN

ACT

Short Title

1. This Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959) Adaptation & Modification Order, 2002 (Third Amendment) Act, 2005.

Amendment of Section 15 of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959)

2. In clause (b) of sub-section (1) of section 15 of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Nagar Nigam Act, 1959) Adaptation and Modification Order, 2002 (hereinafter referred to as Principal Act) following clauses shall be substituted, namely--

"(b) the term of office of Deputy Mayor shall be for period of two years and six months from the date of his election or the residue of his term as a Corporator, whichever is less.

(c) The provisions of clause (b) shall also apply to a Deputy Mayor, who is declared elected in his last election."

Amendment of Section 16 of the Principal Act

3. In Section 16 of the Principal Act the following shall be substituted namely--

Removal of Mayor and Deputy Mayor

(1) Where the State Government has reason to believe that--

(a) There has been any default on the part of the Mayor or Deputy Mayor in the discharge of his duties;

(b) The Mayor or Deputy Mayor has--

(i) Acquired any disqualification mentioned in section 11 and 25; or

(ii) Intentionally earned any share or interest, whether financial or otherwise, directly or indirectly by him or on his behalf or by any partner in any contract with the Nagar Nigam or any employment in the Nagar Nigam under section 463; or

(iii) As a Mayor or Deputy Mayor or Corporator intentionally worked in any such matter in which he or his partner has directly or indirectly has any share or interest, whether financial or otherwise or had professional interest on behalf of any client, owner or any other person; or

(iv) Against the Nagar Nigam or the State Government attended as a Lawyer and worked on behalf of any individual in any suit or other legal proceedings in connection with any nazul land under the management of the Nagar Nigam, worked or attended any criminal proceeding on behalf of any such person against whom any criminal proceeding has been instituted by him or the Nagar Nigam; or

(v) Has vacated his usual place of residence under municipal area of the Nagar Nigam, or

(vi) Has been guilty of misconduct in discharge of his duties; or

(vii) Has grossly misused his office as Mayor or Deputy Mayor during the current or earlier term of the Nagar Nigam acting as Chairman or Corporator or in any other capacity whatsoever, during any period or intentionally acted in contravention of any provision of this Act, or any rule, regulation or bylaw or caused such damage or loss to the fund or the property of the Nagar Nigam which disqualifies him to continue as Mayor or Deputy Mayor; or

(viii) He is guilty of any other misconduct whether such act has been done as a Mayor or Deputy Mayor or Corporator; or

(ix) Has acted against the interest of the Nagar Nigam; or

(x) Has obstructed any meeting of the Nagar Nigam in such manner that the conduct of the meeting becomes impossible or abetted any one to do so; or

(xi) Has intentionally acted in contravention of any order or direction of the State Government issued under this Act; or

(xii) Misbehaved with the officers or employees of the Nagar Nigam without any valid reason; or